भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 15
(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ,1947 (शक) को दिया जाना है।)

अवैध अपतटीय क्रिप्टो-मुद्रा प्लेटफार्मों के विरूद्ध कार्रवाई

15. श्री पुट्टा महेश कुमार:
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या सरकार ने देश में वर्तमान में कार्यरत अवैध अपतटीय क्रिप्टो-मुद्रा प्लेटफार्मों के संबंध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है;
(ख): यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान ऐसे प्लेटफार्मों की सूची, उनका मूल देश और कुल मूल्यांकन कितना है;
(ग): ऐसे अवैध प्लेटफार्मों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और
(घ): क्या सरकार ने देश के आम आदमी के बीच ऐसे अवैध प्लेटफार्मों के उपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई गतिविधि/अभियान चलाया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): वर्तमान में, भारत में क्रिप्टो/वर्चुअल एसेट्स को विनियमित नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, आज की तारीख में विशिष्ट क्रिप्टो प्लेटफार्मों की वैधता या अवैधता का प्रश्न नहीं उठता। हालांकि, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने (एएमएल/सीएफटी) के दृष्टिकोण से निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, वित्तीय आसूचना इकाई (एफआईयू-आईएनडी) धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) को पंजीकृत करती है। पंजीकरण संबंधी यह अपेक्षा भारत में स्थित उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करने वाले घरेलू और अपतटीय प्लेटफार्मों पर समान रूप से लागू होती है। इसलिए एफआईयू-आईएनडी वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स की एक डायनेमिक सूची बनाए रखता है जो उनके साथ पंजीकृत नहीं हैं। इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2022 ने आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 194ध शामिल की गई, जिसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) के अंतरण करने के स्रोत पर 1% कर कटौती (टीडीएस) अनिवार्य है। यह सभी संव्यवहार पर लागू होता है, जिसमें अपतटीय संस्थाओं को शामिल किया गया है, यदि आय भारत में कर के लिए प्रभार्य है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो एसेट्स के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को आर्थिक, वित्तीय, प्रचालनात्मक, विधिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों सहित संभावित जोखिमों के बारे में सावधान करते हुए एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी क्षेत्र-व्यापी हैं और इनमें व्यक्तिगत प्लेटफार्मों पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

*****